(243)

मध्यप्रदेश विधान सभा

ध्यान आकर्षण सूचना

Online No.1912

भोपाल, दिनांक Dec 14 2024 4:50PM

प्रेषक :

डॉ. सतीश सिकरवार,
सदस्य, विधान सभा,

प्रेषिती :

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल

विषय: प्रदेश में चल रहे राजस्व अभियान 3.0 की नकली नौटंकी वंद करने बावत्। .

महोदय,

मै नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 18/12/2024 को श्री करण सिंह वर्मा मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय सार्वजानिक महत्व के विषय की ओर आकर्पित करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे.

प्रदेश में वर्तमान में राजस्व विभाग द्वारा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु राजस्व अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान, नामान्तरण, बटवारा, सीमांकन, बंटाकन, अभिलेख सुधार के प्रकरणों के लाखों की संख्या में निराकरण का झूठा प्रचार-प्रसार अभियान चलाकर प्रदेश के कृपको को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभियान के दौरान केवल उन्ही प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। जिसमें राजस्व अधिकारियों के अवैध हितो की पूर्ति हो रही है। गरीब कृषकों के प्रकरणों को निरस्त किया जाकर निराकृत होना दर्शाया जा रहा है। म.प्र. शासन इस बात की समीक्षा करें कि कितने नामान्तरण, बटवारे स्वीकृत किये तथा कितने प्रकरण जो स्वीकृत योग्य थे, बिना किसी कारण के राजस्व अधिकारियों के अवैध हितो की पूर्ति नही किये जाने से निरस्त किये गये तो संपूर्ण स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जावेगी।

भवदीय

सतीश सिकरवार
(क्षेत्र क्रमांक 16)

नोट: (1) नियम 138(2) के अनुसार जहाँ किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जायगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता सदस्य ने सूचना दी है.

(2) अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक 22(2) के अनुसार यह सूचना तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

पृ0क्रमांक / 2746 / भू–अभि. / 2024

भोपाल, दिनांक 17/12 / 2024

प्रतिलिपि :–
अनुविभागीय अधिकारी /तहसीलदार तहसील हुजूर/कोलार/बैरसिया/नजूल वृत्त गोविंदपुरा/एम.पी. नगर/ बैरागढ़ / शहर भोपाल/ टी.टी.नगर की ओर सूचनार्थ एवं विधानसभा प्रश्न का उत्तर तत्काल प्रेषित करने हेतु ।

अधीक्षक भू–अभिलेख
जिला भोपाल